



आदेश

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक NCTE/WRC/2627202509162506/RAJASTHAN/2025/Recognition Order दिनांक 18.06.2026 के अनुसरण में आई.टी.ई.पी. के अन्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी महाविद्यालय को सत्र 2026-27 से अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा जारी किया जाता है:-

Sr. No.	Institute Name	Discipline	Stage(s)	Intake	Duration of the Programme	Co-Ed/ Women
1.	Shri Agrasen Snatkottar Shiksha Mahavidyalaya, Keshav Vidyapeeth, Jamdoli, Jaipur East, Jaipur, Rajasthan-302031	B.A.B.Ed.	Secondary	1 unit (50 seats per unit)	4 year	Co-Ed.
		B.Sc.B.Ed.	Secondary	1 unit (50 seats per unit)	4 year	

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अधोलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:-

- निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
- प्रभावी एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन अनुसार योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
- निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 - एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 - राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
 - संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
 - अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
- प्रभावी एनसीटीई रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(नथमल डिडेल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:-एफ.24()ITEP-App-2627202509162506/बी.एड./आकाशि/2025 दिनांक: यथाहस्ताक्षर

क्षेत्रीय निदेशक,
पश्चिम क्षेत्रीय समिति,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
जी-7, सेक्टर-10, द्वारका,
नई दिल्ली-110075

विषय:- एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) की अनुशंसा (Recommendation) के संबंध में।

संदर्भ:- WRC- NCTE में ITEP हेतु किये गये आवेदन संख्या - 2627202509162506

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में लेख है कि पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (WRC-NCTE) के द्वारा Shri Agrasen Snatkottar Shiksha Mahayidyalaya, Keshav Vidyapeeth, Jamdoli, Jaipur-302031 में संचालित बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. कार्यक्रम को एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) में परिवर्तित करने के संबंध में राज्य सरकार की अनुशंसा/टिप्पणी (Recommendation/Comments) हेतु विभाग में पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त के अनुक्रम में संस्थान द्वारा एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) से संबंधित एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने की शर्त पर Shri Agrasen Snatkottar Shiksha Mahayidyalaya, Keshav Vidyapeeth, Jamdoli, Jaipur-302031 में संचालित बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. कार्यक्रम को एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) में परिवर्तित करने हेतु सिफारिश/अनुशंसा (Recommendation) एतद् द्वारा की जाती है।

नोट:- ITEP कोर्स हेतु WRC, NCTE से मान्यता प्राप्त होने पर राज्य सरकार से TNOC प्राप्त करने के लिए WRC-NCTE द्वारा जारी मान्यता आदेश के साथ ITEP कोर्स के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार समस्त दस्तावेज संलग्न कर विभाग में प्रस्तुत करने होंगे।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव/प्राचार्य, श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर-302031।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.12 10:55:43 IST
Reason: Approved





E-

क्रमांक:- एफ.24(NOC)/बी.एड./Merger/आकाशि/2025

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

सचिव/प्राचार्य,
श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय,
केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर-302031

विषय:- बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत) कार्यक्रम को आई.टी.ई.पी. में Transition के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जामडोली, जयपुर में संचालित बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत) कार्यक्रम को आई.टी.ई.पी. में Transition के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा एन.ई. पी.-2020 के अन्तर्गत एकल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में केशव विद्यापीठ समिति, जामडोली, जयपुर द्वारा संचालित निम्नलिखित महाविद्यालयों के विलय (Merger) हेतु विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम
1.	Shri Agrasen Snatkottar Shiksha Mahavidyalaya, Keshav Vidyapeeth, Jamdoli, Jaipur	Gaurishankar Bihani Mahavidyalaya, Keshav Vidyapeeth, Jamdoli, Jaipur

इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा की जानी है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
6. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
7. सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.10.10 10:34:16 IST
Reason: Approved